कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/गुण एवं प्रशि अनु/गुण प्र/परीक्षा 61196/2024—25 दिनांकः— यथा हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।

विषयः— विद्यार्थियों को दिये जाने वाले सत्रांकों में वृक्षारोपण के अंकीय प्रावधान किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः— माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में वृक्षारोपण के संबंध में आयोजित वी. सी में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बोर्ड विद्यार्थियों के सत्रांकों में विद्यार्थी द्वारा किये गये वृक्षारोपण के भी अंक स्थायी रूप से निर्धारित करने के संबध में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित कक्षावार तथा विषयवार प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैः—

1. कक्षा 05, 08 तथा कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के सत्रांकों में वृक्षारोपण अंकों के संबंध में प्रस्तावः—

कक्षा 5

कक्षा	विषय	प्रोजेक्ट के अंक	सद्व्यवहार के अंक	वृक्षारोपण के अंक
5	हिन्दी, अंग्रेजी तथा गणित	01 अंक प्रति विषय	01 अंक प्रति विषय	02 अंक प्रति विषय
5	पर्यावरण	03 अंक	01 अंक	04 अंक
	योग	**6**	**4**	**10**

कक्षा 8

कक्षा	विषय	प्रोजेक्ट के अंक	सद्व्यवहार के अंक	वृक्षारोपण के अंक
8	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा	00	01 अंक प्रति विषय	5 अंक
8	विज्ञान	04 अंक	01 अंक	05 अंक
	योग	**04**	**06**	**10**

कक्षा 10

कक्षा	विषय	प्रोजेक्ट के अंक	सद्व्यवहार के अंक	वृक्षारोपण के अंक
10	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा	00	01 अंक प्रति विषय	05 अंक प्रति विषय
10	विज्ञान	01 अंक	01 अंक	02 अंक
	योग	**01**	**6**	**07**

2. कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के सत्रांकों में वृक्षारोपण अंकों के संबंध में प्रस्तावः—

बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर से दिये जाने वाले सत्रांको के 20 अंकों का विभाजन निम्नानुसार किया जाता हैः—

RajKaj Ref No.: 10243243

कक्षा	विषय	प्रोजेक्ट के अंक	सद्व्यवहार के अंक	वृक्षारोपण के अंक
12	हिन्दी अनिवार्य तथा अंग्रेजी अनिवार्य	01 अंक प्रति विषय	01 अंक प्रति विषय	04 अंक (प्रति विषय 2 अंक)
12	वैकल्पिक विषय 1 वैकल्पिक विषय 2 वैकल्पिक विषय 3	00 अंक प	01 अंक प्रति विषय	03 अंक (प्रति विषय 1 अंक)
	योग	**02**	**05**	**07**

3. गैर बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के सत्रांकों में वृक्षारोपण अंकों के संबंध में प्रस्तावः—

गैर बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सब विषयों मेंसे कटौति कर वृक्षारोपण के लिए 10 अंक का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

कक्षा 6 एवं 7

कक्षा	विषय	मौखिक परीक्षा	तृतीय परख से	वृक्षारोपण के अंक
5	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा	01 अंक प्रति विषय	00	05 अंक
5	विज्ञान	03 अंक	02 अंक	05 अंक
	योग	08 अंक	**4**	**10**

कक्षा 9

कक्षा	विषय	तृतीय परख में से	वृक्षारोपण के अंक
09	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा	01 अंक प्रति विषय	05 अंक प्रति विषय
09	विज्ञान	02 अंक	02 अंक
	योग	**6**	**07**

कक्षा 11

कक्षा	विषय	तृतीय परख में से	वृक्षारोपण के अंक
11	अनिवार्य हिन्दी, तथा अंग्रेजी,	02 अंक प्रति विषय	04 अंक प्रति विषय
11	वैकल्पिक विषय 1 वैकल्पिक विषय 2 वैकल्पिक विषय 3	01 अंक	02 अंक
	योग	**07**	**07**

उपर्युक्तानुसार बोर्ड कक्षाओं की कक्षा 10 तथा 12 की परीक्षाओं के सत्रांकों में वृक्षारोपण प्रावधान हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रावधानों में परिवर्तन , कक्षा 5 एवं 8 के सत्रांकों के लिए पंजियक विभागीय परीक्षा द्वारा परिवर्तन परीक्षा तथा स्थानीय परीक्षा की कक्षा कक्षा 3 एवं 4 तथा कक्षा 6 व 7 में मौखिक परीक्षा के अंकों का तथा 9 तथा 11 के लिए तृतीय परख के अंकों का पुर्नवितरण द्वारा किया जा सकेगा ।

उपर्युक्त अंक विद्यार्थियों को निम्न गतिविधियों में भागीदारी के लिए दिए जा सकेंगे :–

- स्वयं द्वारा पोधारोपण करने के लिए । (विद्यालय, निवाय अथवा अन्य स्थानों पर)
- रोपित किए गए पोधों की देखभाल के लिए ।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की गतिविधियों मेंभाग लेने हेतु।
- कक्षा/विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेने एवं किए प्रदर्शन हेतु।

उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन, शासकीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं पंजियक विभागीय परीक्षा से वर्तमान सत्रांक प्रावधान में आवश्यक परिवर्तन हेतु निर्देश जारी करवाये जाने का श्रम करावें।

भवदीय

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा को पालनार्थ।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
12. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :05-09-2024 12:49:16